न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
129 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023	18.12.2023	17.10..2024

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषद्यि नियन्त्रण, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला पुत्र श्री मोहन लाल ग्वाला निवासी गंगा गोरिया बालाजी रोड देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स सुरेन्द्र दूध डेयरी गंगा गोरिया बालाजी रोड देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड–304804 मो0न0 9509015644
2–मैसर्स सुरेन्द्र दूध डेयरी गंगा गोरिया बालाजी रोड देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड–304804

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार ग्वाला स्वयं उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 17.10.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 07.08.2023 को समय 04:20 पीएम पर मैसर्स सुरेन्द्र दूध डेयरी गंगा गोरिया बालाजी रोड देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रता के हैसियत से श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला पुत्र श्री मोहन लाल ग्वाला अपने प्रतिष्ठान मैसर्स सुरेन्द्र दूध डेयरी गंगा गोरिया बालाजी रोड देवली पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला पुत्र श्री मोहन लाल ग्वाला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला पुत्र श्री मोहन लाल ग्वाला ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में दूध, छाछ, घी के साथ–साथ दुकान के डीप फ्रीजर में 4 केनों में लगभग 150–160 लीटर **गाय का दूध** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजि. टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला पुत्र श्री मोहन लाल ग्वाला को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **गाय का दूध** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, प्रतिष्ठान में डीप फ्रीजर में 4 केनों में रखे लगभग 150–160 लीटर **गाय का दूध** में से एक केन का चयन कर अच्छी तरह हिला–मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर स्टील की एक भगोनी में कुल 2 किलोग्राम गाय का दूध वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम **गाय का दूध** को प्लास्टिक की साफ एवं सूखी चार शिशियों में 500–500 ग्राम के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर बतौर परीक्षित प्रत्येक भाग में फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला मिलाकर शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाय प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3743 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3743 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/895 दिनांक 08.09..2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/3213/एक्ट/2023/3291 दिनांक 21.08.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **गाय का दूध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। उक्त दूध में कोई बाहय पद्रार्थ नहीं मिलाया गया है। यह मानव उपयोग के

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **गाय का दूध** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **गाय का दूध** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.10.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सोकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक